

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5733

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

स्टार्टअप हेतु सुविधा

5733. डॉ. उदित राज:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का सरकारी स्टार्टअप भारत योजना के अंतर्गत उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनियों को शामिल करने और विघटन के लिए नियमों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) ऐसे संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
मेघवाल)

(श्री अर्जुन राम

(क) और (ख): सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान निगमन प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से निगमन के विभिन्न प्ररूपों को स्पाइस (आईएनसी-32) प्ररूप में सम्मिलित करके निगमन नियमों में संशोधन किया है। स्पाइस में नाम का आरक्षण, निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आबंटन, कंपनी का निगमन/रजिस्ट्रीकरण, स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर कटौती खाता संख्या (टैन) के आबंटन से संबंधित सेवाओं के लिए प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अधिसूचित की गई है और कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया तथा स्वैच्छिक समापन से संबंधित प्रावधान प्रारंभ कर दिए गए हैं। आशा है कि इनसे स्टार्ट-अप सहित सभी कंपनियों के लिए एक तीव्र और अधिक सक्षम विघटन प्रक्रिया उपलब्ध हो सकेगी।
